

कार्यालय नगर परिषद, शेखपुरा

पत्रांक:- 1829 /

प्रेषक

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा

सेवा में

सहायक निदेशक -सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना

दिनांक- 1/11/18

विषय:- नगर परिषद शेखपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-700/2017-18 को अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-भवदीय ज्ञापांक-1950 दिनांक-29.08.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निदेशानुसार कार्यालय महालेखाकर (ले०प०) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना से प्राप्त सं०-LA/SS-1/ श०स्था०नि०/14697/302 दिनांक-06.12.2017 द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-700/2017-18 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है तथा इस कार्यालय के पत्रांक-1688 दिनांक-06.10.2018 के द्वारा वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी, शा०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बीरचन्द्र पटेल मार्ग पटना को निराकरण हेतु उपलब्ध करा दी गई है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा

कार्यालय नगर परिषद, शेखपुरा

पत्रांक-1688/

प्रेषक

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा

सेवा में

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
शा0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1,
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बोरचन्द्र पटेल मार्ग पटना।
पिन कोड-800001

दिनांक-06.10.18/

विषय- नगर परिषद शेखपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-700/2017-18 को अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-भवदीय ज्ञानांक-1950 दिनांक-29.08.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निवेदकानुसार कार्यालय महालेखकर (ली0न0) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना से प्राप्त सं0-LA.SS-1 शा0स्था0नि0/14697/302 दिनांक-06.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-700/2017-18 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सनर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विरवासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा

ज्ञानांक-1688/

दिनांक-06.10.18/

प्रतिलिपि-सहायक निदेशक -सह-संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ सनर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा

कड़िका	अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग	प्रतिवेदन
1	अप्रयुक्त राशि रु 96,19,924/- को संबंधित विभागों में जमा कर साक्ष्य दिया जाय।	उक्त राशि से संबंधित विवरणों प्रतिवेदन संलग्न।
2	भविष्य निधि कटौती को राशि रु 4,23,508/- को संबंधित भविष्य निधि खातों में अपिलान्व जमा कर साक्ष्य दिया जाय।	भविष्य निधि को राशि मा0-423508.00 एवं अद्यतन कुल राशि मा0-570730.00 चेक सं0-597730 के द्वारा भविष्य निधि हेतु खोले गये बैंक खाते में जमा
3	विलान्व शुल्क को बकाया राशि से संबंधित संवेदक से वसूल कर संबंधित शीप में जमा का साक्ष्य दिया जाय।	योजना सं0-19।2.2016-17 के अंतर्गत संवेदक को भूलवश बिना समय अवधि की राशि कटौती किये हुए भुगतान कर दिया गया था लेकिन संवेदक से अप्रभन के रूप में ली गई 5 प्रतिशत टी0डी0 पासबुक की राशि एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि जमा करते हुए समय अवधि की राशि समाप्त कर ली जायेगी।
4	असमाप्त राशि रु 1,05,000/- का समाप्त कर साक्ष्य दिया जाय।	असमाप्त राशि मा-105000.00 का समाप्त कर लिया गया है। प्रारित अतिशय को छाया प्रति संलग्न।
5	गृह कर राशि को द्वारा समाप्त राशि रु 2,49,388/- को नगर काय में जमा कर जमा का साक्ष्य दिया जाय।	गृह कर राशि को द्वारा समाप्त राशि रु 2,49,388/- का नगर काय में जमा कर दी गई है। साक्ष्य हेतु बैंक में जमा की गई राशि की रसीद एवं नगर रसीद तथा कैशबुक/पासबुक को छाया प्रति संलग्न।
6	सैरात बंदावली में 10 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत शुल्क को वसूल के कारण रु 10,08,023/- के राजस्व होने को संबंधित बंदावलीधारी से वसूल कर नगर काय में जमा का साक्ष्य दिया जाय इस संबंध में लेखापरीक्षक दल द्वारा कुल 1 विन्दुओं पर प्रतिभूल टिप्पणों को गई है जिनका साक्ष्यपूर्ण उत्तर दिया जाना चाहिए।	जानकारी के अभाव के कारण सैरात बंदावलीधारी से (10 प्रतिशत) 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत मुद्रक शुल्क को राशि नहीं ली जा सकी। वर्तमान में अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में 10 प्रतिशत 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत मुद्रक शुल्क लेकर ही सकल बंदावलीधारी के साथ बंदावली की जा रही है।
7	सैरात बंदावली की बकाया राशि रु 2,00,850/- को अपिलान्व वसुली कर नगर काय में जमा का साक्ष्य दिया जाना चाहिए।	सैरात बंदावली की बकाया राशि रु 2,00,850/- का नगर जमा करने हेतु बंदावलीधारी को नोटिश के माध्यम से सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण बकाया राशि वसूलने हेतु सर्वोत्तम केश किया गया है साक्ष्य हेतु सर्वोत्तम केश को छाया प्रति संलग्न है।

+


8	नगर परिषद के जनरल क्व को सत्रिका के अडलोकन में पाया गया कि जनरल क्व में बिहार विलीय सानप्रो क्व नियमावली का पालन नहीं किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षक दल द्वारा प्रतिवेदन में कुल तीन विन्दुओं पर टिप्पणियों को गई जिसका साक्ष्यपूर्ण उत्तर दिया जाना चाहिए।	भूलवश भुगतान के रूप में आपूर्तिकता से प्रतिभूति की राशि नहीं काटा जा सका। लेकिन टंडर के समय मांग की गई बैंक ड्राफ्ट को सुरक्षित रख लिया गया है साक्ष्य हेतु बैंक ड्राफ्ट के छाया प्रति संलग्न है।
9	नगर परिषद के अंतर्गत दूकानों से किराया मद में बकाया राशि रु 90,038/- के वसुली हेतु की गई कार्रवाई को साक्ष्य के तौर पर दिया जाय।	नगर परिषद के अंतर्गत दूकानों से किराया मद में बकाया राशि रु 90,038/- वसुली कर ली गई है साक्ष्य हेतु वसुली की गई राशि से संबंधित रसीद को छाया प्रति संलग्न है।
10	नॉर्बर्डल टॉवरों पर नवीकरण को बकाया राशि रु 70,000 की वसुली के लिए की गई कार्रवाई का प्रति साक्ष्य के तौर पर दिया जाय।	नॉर्बर्डल टॉवरों पर नवीकरण को बकाया राशि रु 70,000 की वसुली के लिए सभी संबंधित नॉर्बर्डल टॉवर संचालकों को नोटिश दी गई है साक्ष्य हेतु नोटिश को छाया प्रति संलग्न है।
11	लैण्टॉन क्व में नगर परिषद बोर्ड के निर्णय को प्रति एवं अधिक भुगतान की गई राशि रु 8,21,500/- को वसुली कर जमा का साक्ष्य दिया जाय।	नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त पत्र के आलोक में दिये गये निदेश में यह वर्णित है कि अगल-बगल के तिकार्यों द्वारा क्व किये गये दर पर संबंधित क्व किया जा सकता है। जिसके आलोक में कार्यरत को देखते हुए नगर पंचायत राजगीर के द्वारा क्व किये गये दर पर लैण्टॉन का क्व किया गया है चूंकि लैण्टॉन क्व करने हेतु विभाग के द्वारा राशि कर्णांकित करते हुए ही अद्यतन उनलक्ष कराया गया था लैण्टॉन क्व करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन दैनिक सनाचार पत्र में कराने के उपरांत लगभग मा0-70000.00 से 100000.00 रु तक प्रकाशनकर्ता को भुगतान करना पड़ता है। जिससे विलीय भति ही होती ऐसी स्थिति को देखते हुए नगर परिषद के बोर्ड की बैठक में राजगीर नगर पंचायत के द्वारा लैण्टॉन क्व किये गये दर पर उसी फर्म से लैण्टॉन आपूर्ति आदेश देने का निर्णय लिया गया था साक्ष्य हेतु बोर्ड में लिये गये प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न है।

(TAN)

1	नगर परिषद के वर्ष 2015-16 से 2018-17 तक के रोकड़बंदियों के तन्ना जॉन में	अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में निदेशानुसार रोकड़बंदी में निराकरण कर लिया गया है। वर्तमान में वृत्ति रहित रोकड़बंदी संचालित साक्ष्य हेतु
---	--	---


Handwritten signature and initials.

	प्रतिवेदन में वर्णित क्रमशः (क) से (घ) तक में कई त्रुटियाँ पाई गई थी जिसके निराकरण का प्रमाण दिया जाना चाहिए।	रोकडबडी की छाया प्रति संलग्न है।
2	बिहार नगरपालिका अधिनियम के नियमानुसार बजट तैयार कर विभाग को भेजने का साक्ष्य दिया जाय।	बिहार नगरपालिका अधिनियम के नियमानुसार बजट तैयार कर विभाग को भेजा गया है जिसका अनुवेदन विभाग के द्वारा भी कर दी गई है साक्ष्य हेतु अनुमोदित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
3	गृह कर के वार्षिक किराया मूल का पुनरीक्षण किये जाने संबंधित कार्याई की प्रति एवं गृहकर वसूली राशि के जमा का साक्ष्य दिया जाय।	गृह कर के वार्षिक किराया मूल का पुनरीक्षण का कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जी0आई0एल00 मीटिंग को करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जी0आई0एल00 के द्वारा प्रथम फेज में वाडवार नक्शा तैयार कर ली गई है। द्वितीय फेज में गृह कर का वार्षिक किराया मूल का पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा।
4	लेखाओं का संधारण द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में किये जाने का प्रमाण दिया जाय।	नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली संधारण हेतु मुखर्जी एवं विरवाल चार्टर्ड एकाउंटेंट को प्राधिकृत किया गया है उनके द्वारा द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली का कार्य किया जा रहा है।
5	नक्शा स्वीकृत में विकास अनुज्ञा शुल्क को वसूली किये जाने का प्रमाण साक्ष्य दिया जाय।	वसूली न नक्शा की स्वीकृत विकास अनुज्ञा शुल्क लेकर ही की जाती है साक्ष्य हेतु ली गई राशि की रसीद की छाया प्रति संलग्न है।
6	नगर परिषद शखपुरा के वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार कर संधारण का साक्ष्य दिया जाय।	भविष्य में वार्षिक लेखाओं का संधारण किया जायेगा जिस आगामी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेंगी।
7	अनुदान पत्रों का संधारण कर संधारण का प्रमाण दिया जाना चाहिए।	भविष्य में अनुदान पत्रों का संधारण किया जायेगा जिस आगामी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेंगी।
8	शखपुरा के कार्यरत कर्मचारियों के सवमुक्त में त्रुटियाँ पाई गई थी जिसका सुधार करके हुए विभाग को अनुवेदन हेतु भेजा गया है। साक्ष्य हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	शखपुरा के कार्यरत कर्मचारियों के सवमुक्त में त्रुटियाँ पाई गई थी जिसका सुधार करके हुए विभाग को अनुवेदन हेतु भेजा गया है। साक्ष्य हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
9	नगर परिषद के वर्ष 2015-16 से 2016-17 के जाँच प्रतिवेदन में	
	क्रमशः (i)	आगामी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेंगी।
	क्रमशः (ii)	नक्शा पत्रों वर्ष 2015-16 से संबंधित साक्ष्य संलग्न है।
	क्रमशः (iii)	आगामी लेखा परिक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेंगी।
	क्रमशः (iv)	स्टॉक पत्रों (रसीद एच का) जनवरी 2017 से पूर्व का का छाया प्रति संलग्न है।
	क्रमशः (v)	विज्ञापन कर से संबंधित सधिका संधारित।
	क्रमशः (vi)	बाहरी का लॉग बुक नगर परिषद में संधारित है साक्ष्य हेतु छाया प्रति संलग्न है।
	क्रमशः (vii)	परिसमति पत्रों मुखर्जी एवं विरवाल चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया गया साक्ष्य हेतु जी0पी0आर0 की प्रति संलग्न है।


 नगर कार्यपालिका परिसर
 नगर निका, शखपुरा

कांडिका-1 निधियों का अवरोधन -रु0 96.20 लाख

क्र0 सं0	योजना/मंड का नाम	31.03.2017 का रोकडवही अंतरोध (रु0)	बैंक खाता में अद्यतन अवरोध राशि (रु0)	बैंक खाता का नाम एवं बैंक संख्या	प्रतिबन्धन
1	2	3	4	5	6
1	10वां, 11वां वित्त आयोग	982203.00	-	पी0एल0 खाता	
2	13वां वित्त आयोग	4440895.00	2367505.00	भारतीय स्टेट बैंक-90899225	क्रिये गये कार्य के अलावा में एत0डे0 कटौती की राशि जिसका भुगतान संबंधित संवेदक को किया जा रहा है साक्ष्य हेतु निर्गत चेक को छायाचित्र संलग्न है।
3	कबोर अल्ट्रापेट	1067068.00	-	बैंक ऑफ इंडिया-36637 (अंतरिक संलग्न)	कबोर अल्ट्रापेट मंड में प्राप्त आवंटन का कबोर अल्ट्रापेट हेतु खोले गये वार्डवार खाते में जमा कर दी गई है जिसे मृत्यु उपरोक्त बी0के0एल0 परिवार को अनुदान के तहत दी जाती है।
4	डू-सर्विस	317210.00	320304.00	बैंक ऑफ इंडिया-10577	उक्त राशि से कन्स्यूटर एवं प्रिंटर तथा 50000एल0 का क्रय एवं टेलीफोन का विवरण का भुगतान कर दिया गया है। अवरोध राशि मृत्यु
5	राष्ट्रीय गवर्नर वक्ता कार्यक्रम	1274833.00	12377462.00	भारतीय स्टेट बैंक-70497	
6	(+2) विद्यालय भवन निर्माण	1537660.00	1522642.00	भारतीय स्टेट बैंक-43958	क्रिये गये कार्य के अलावा में एत0डे0 कटौती की राशि जिसका भुगतान संबंधित संवेदक को किया जा रहा है साक्ष्य हेतु निर्गत चेक को छायाचित्र संलग्न है।
	कुल	9618924.00			


 प्रमुख कार्यपालक सहायक
 नगर परिषद कांडिका